राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3598/2024

युनस मोहम्मद पुत्र यूसुफ मोहम्मद, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. कोशर बानो पत्नी मोहम्मद असलम, निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री जामवंत गुर्जर

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>06/08/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर, जिला चुरू द्वारा आपराधिक मामला संख्या 256/2020 में पारित दिनांक 13.05.2024 के आदेश के संबंध में है। इस आदेश में, अदालत ने याचिकाकर्ता के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी, क्योंकि वह एफआईआर संख्या 0140/2020, दिनांक 29.05.2020, जो पुलिस स्टेशन तारानगर, जिला चुरू में धारा 323, 341, 354, 354(डी) और 509 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है, में विचाराधीन/आरोपी है।

2. सबसे पहले, मेरा ध्यान शिकायतकर्ता, जो याचिकाकर्ता की भाभी है, और याचिकाकर्ता के बीच हुए समझौते की ओर आकर्षित हुआ है। शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता पर कथित अपराधों का आरोप लगाया था, जो मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के छोटे भाई और उसकी पत्नी (शिकायतकर्ता) के बीच वैवाहिक कलह

का परिणाम थे। इसके बाद, पक्षों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया, जिससे 20/05/2022 के समझौते के अनुसार आपसी समझौता हो गया।

3. समझौते के आलोक में, अन्य तथ्यात्मक विवरणों पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे तत्काल याचिका के निपटान के लिए अप्रासंगिक हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि, याचिकाकर्ता वैध पासपोर्ट के अभाव में भारत की यात्रा करने में असमर्थ है। इस बीच, दूसरी ओर, उसके नियंत्रण से परे कारणों से उसकी निरंतर अनुपस्थिति के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने सहित उसके खिलाफ बलपूर्वक उपाय किए गए हैं।

4. आरोपों की प्रकृति और याचिकाकर्ता की भाभी की ओर से चल रहे मुकदमे को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मामला निजी प्रकृति का है। पक्षों द्वारा अपने मतभेदों को सुलझा लेने के बावजूद, राज्य पर अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी का बोझ है। स्वाभाविक रूप से, समझौते के मद्देनजर, शिकायतकर्ता अब याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने आरोपों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखती है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मेरा विचार है कि ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था।

6. परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर आवेदन को भी स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता को सक्षम पासपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करके कानून के अनुसार अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति दी जाती है। भारत लौटने पर, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अपने आगमन के 4 सप्ताह के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। उसके उपस्थित होने पर, उसकी जमानत याचिका पर उसी दिन विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

7. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।